प्रेस नोट **06/02/2025**

गहने लेकर फरार एक अन्तर्गजनपदीय शातिर जालसाज गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.02.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रोडवेज बस स्टैण्ड दोहरीघाट के पास से मु0अ0सं0 04/25 धारा 316(2), 318(4), 317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त प्रमोद चौहान पुत्र राजदेव चौहान निवासी गोधौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से जालसाजी से गहने लेकर भागे हुए गहनों को बेचकर लिए गए रुपयें में से बचे 5500 रुपये तथा बिना नम्बर की एक अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया । तथा बरामद दो पहिया वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. प्रमोद चौहान पुत्र राजदेव चौहान निवासी गोधौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ।

बरामदगी–

1. जालसाजी से गहने लेकर भागे हुए गहनों को बेचकर लिए गए रुपयें में से बचे 5500 रुपये ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक दोहरीघाट श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 महादेव गुप्ता, का0 संजीव सिंह, का0 राजबाहादुर यादव, का0 जितेन्द्र यादव, का0 गंगाराम, का0 अमित शर्मा, का0 संदीप यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

अपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 01/08 धारा 41,411,413,419,420 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 123/21 धारा 379 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 318/21 धारा 376,411,420,468,471 भादवि थाना रसड़ा जनपद बलिया।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 06.02.2025 थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अदरी मोड़ के पास से मु0अ0सं0 32/25 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व धारा 60,63 आबकारी अधिनियम में वांछित अभियुक्त अवधेश यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र यादव निवासी चन्देश्वर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

पत्नी पर चाकू से हमला के मामले में पति गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज चाकू बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.02.2025 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के घर से अभियुक्त मो0 असरफ पुत्र हबीबुल्लाह निवासी धरौली थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया। जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद कर

गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/2025 धारा 85,109(1),352(2) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. मो0 असरफ पुत्र हबीबुल्लाह निवासी धरौली थाना घोसी जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

उ0नि0 दिवाकर राना, हे0का0 जितेन्द्र यादव, का0 ऋषिकेश, आरक्षी अर्जुन राय, का0 धर्मपाल भारती थाना घोसी जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व ₹52500 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे प्रथम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 06-02-2025 को मु0अ0सं0 148/2023 के धारा 302,120बी भादवि व 307,504भादवि तथा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिरैयाकोट में दोषसिद्ध अभियुक्तगण सर्वेश यादव पुत्र सुरेश यादव, आशीष यादव पुत्र चन्द्रिका यादव, अरविन्द यादव पुत्र दयाशंकर यादव निवासीगण बस्तियाचक थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹52500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री नन्दलाल, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सुधीर कुमार थाना चिरैयाकोट का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व ₹6,000-6,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 06-02-2025 को मु0अ0सं0 1281/2004 के धारा 147,323,504,506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्तगण टनटन सिंह पुत्र दयाशंकर सिह, कृष्ण कुमार सिंह उर्फ के0के0 सिंह पुत्र रंगी सिंह निवासीगण ह्दयपट्टी थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹6,000-6,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री सत्येन्द्र नाथ राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी रामभवन थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।